

प्रधान
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वितीय
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद लखनऊ
शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
2. पदनाम:
3. ग्रुप संख्या:
4. व्यक्तिगत संख्या:
5. अनुभाग:
6. ड्यूटी का स्थान:
7. स्थानीय पता:
8. वेतन (व्यक्तिगत वेतन/विशेष वेतन इत्यादि सहित)/रुपये:
9. दावा किया गया शिक्षण शुल्क:
10. से अवधि के लिये संस्था के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित सरकारी मुहर लगा हुआ रु. का प्रमाण पत्र संलग्न।

घोषणा

प्रमाणित करता हूँ कि निम्नलिखित बच्चा/बच्चे जिनके लिये शिक्षण शुल्क का/के दावा/दावे किया गया है। किये गये हैं वैध बच्चा/बच्चे (सौतेले तथा विधि के अन्तर्गत मान्य दण्टक सहित) है और मेरे ऊपर पूर्णरूप आश्रित है/हैं।

छात्र/छात्राओं का नाम:

1.
2.
3.

सरकारी कर्मचारी का हस्ताक्षर

अनुभाग

पी.सी. I/II अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित/

शाखाधिकारी

कार्यालय के प्रयोग के लिये

1. दावा किया गया शिक्षण शुल्क रु. से
2. संस्था का प्रमाण पत्र वास्ते रुपये से
..... अवधि तक का संलग्न।
3. शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई रु.

लेखापरीक्षक

स.ले.प.अ./पी.सी./

लेखा परीक्षा अधिकारी (रोकड़)

- (1) पिछले दावे की तिथि अवधि जिसके लिये प्रतिपूर्ति का दावा किया गया था
- (2) वर्तमान दावे से संबंधित अवधि

संतान का नाम	स्कूल जिसमें पढ़ रहा है तथा स्कूल का स्थान (यह भी बतायें कि यह सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है अथवा नहीं)	कक्षा जिसमें अध्ययन कर रहा था	वारस्व में भुगतान किया गया मासिक शुल्क (रसीद नरखी की जाय)	राजकीय स्कूल छात्रवृत्ति की राशियाँ यदि कोई हो तो	अन्य स्रोतों में प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि	दावा की गयी प्रतिपूर्ति की राशि शिक्षण प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन शुल्क तक सीमित

1. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित मेरी संतान जिनके संबंध में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है स्तम्भ (2) में उल्लिखित स्कूल में अध्ययन कर रही है जो मान्यता प्राप्त स्कूल है तथा प्रत्येक के प्रति इंगित शिक्षण शुल्क का वास्तव में मेरे द्वारा भुगतान कर दिया गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/पति राजकीय सेवा में नहीं है/मेरी राजकीय सेवा में है, तथा उसके द्वारा किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जायेगा, तथा यह भी कि उसके द्वारा आहरित वेतन रु.4/- प्रति माह से अधिक नहीं है। मेरी पत्नी/पति "क" सेवा में नहीं है अथवा प्रथम श्रेणी के पद पर नहीं है। मेरी पत्नी/पति केन्द्रीय सरकार से बाहर सेवा में नहीं है। मेरी पत्नी/पति के अधीन सेवा में है। वह हमारी सन्तानों के (निम्नानुसार) के संबंध में शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति का/की हकदार है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित सन्तानें एक ही कक्षा में दो से अधिक वर्ष से पढ़ रही हैं।
4. प्रमाणित किया जाता है कि एक वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने ऊपर उल्लिखित सन्तानों के संबंध में मंत्रालय के का. झा. सं. एक. 10(1) ई.एस.टी. (एक.एल.) 60 दिनांक 30 जनवरी 1962 के अधीन संतानों के शिक्षण भत्ते का दावा नहीं किया है और न ही करूँगा। (काट दें यदि लागू नहीं होता) सेवायोजन यदि केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त कोई हो तो उल्लेख करें।

दिनांक

Authority vide Government of India

Ministry of Personnel, P.G. and Pensions Department of Personnel & Training New Delhi

Order No. N..A-27012/02/2017-Estt.(AL) 16 August, 2017.

(This order shall be effective from 1st July, 2017)

CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION/SCHOOL

(FOR REIMBURSEMENT OF CEA)

Ref.No.

Date:-

It is certified that master/Kumari having, Admission No
..... D.O.B Son/Daughter of Mr/Mrs
..... was studying in class Sec
..... Roll No during the previous academic year from
..... to School/institution, namely
..... vide affiliation Regd. No./Code
..... and Pattern Curriculum.

Place:-

Date:-

Signature of Principal

(Affix School Stamp)
